न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

(1) अपील संख्या 78/2018/225 आरटीए

1. सुनील कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. प्रियंका पुत्री रामकुमार जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. समेस्ता पत्नि रामकुमार जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. बलराम पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रामस्वरूप पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– तरतीबी रेस्पो0

4. मनीष कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.02.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी प्र0सं0 02/2018 अनवानी सुनीलकुमार बनाम आदि बनाम बलराम आदि

उपस्थित :–

1. श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता रेस्पो0 1 व 2
3. श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

(2) अपील संख्या 83/2018/225 आरटीए

1. रामस्वरूप पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. बलराम पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. समेस्ता पत्नि रामकुमार जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सुनील कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. प्रियंका पुत्री रामकुमार जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. मनीष कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.02.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी प्र0सं0 02/2018 अनवानी सुनीलकुमार बनाम आदि बनाम बलराम आदि

उपस्थित :–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता रेस्पो0 1 ता 4
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

निर्णय दिनांक –21.05.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपील सं. 78/2018 के अपीलांट व रेस्पो सं. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 आरटीए पेश कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 09.01.2018 को रेस्पो0 सं. 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की कि वादग्रस्त कृषि भूमि रेस्पो0 सं. 1 व 2 आगामी पेशी तक रहन, बैय नही करे तथा पत्रावली आगामी पेशी मुकर्रर की गई। रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने हाजिर आकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादपत्र मे वर्णित अनुसार व राजीनामा संबंधी कथन स्वीकार किये तथा यह भी कथन किये कि सुनीलकुमार आदि का बंटवारा के अनुसार भूमि पर कब्जा नही बल्कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार कब्जा है तथा रेस्पो0 सं. 1 व 2 भूमि को विक्रय नही कर रहे है इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.01.2018 को खारिज किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2018 को अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.01.2018 मे रहन रखने की हद तक खारिज किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। अपील सं. 83/2018 के अपीलांट ने उक्त पारित अपीलाधीन आदेश दिनां 27.02.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश मे रहन की हद तक अपीलांटस को अनुतोष किया लेकिन कब्जा के संबंध मे किसी भी तरह का स्पष्ट आदेश जारी नही किया गया जिसकी वजह से रेस्पो0 अपीलांट की कब्जा काश्त की भूमि मे असामाजिक तत्वो के साथ मिलकर जबरन कब्जा करने की फिराक मे है, अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 से व्यथित होकर उपरोक्त दो अपीले प्रस्तुत की गई है। दोनो अपीलो मे समान पक्षकार होने एवं एक ही आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने एवं समान भूमि होने के कारण उक्त दोनो अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अपील सं. 78/2018 के अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश रेस्पो0 सं. 1 व 2 के विरूद्ध रहन का स्थगन खारिज करने व अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 के कब्जा के संबंध मे कोई निर्णय पारित न करने की हद तक कतई गलत व विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 ने अपने स्थगन आदेश दिनांक 09.01.18 जारी करने के पश्चात उक्त पत्रावली तलबी हेतु मुकर्रर की। रेस्पो0 द्वारा तारीख पेशी से पूर्व जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलांट ने जवाबुल जवाब हेतु आदेश 8 नियम 9 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांअ का कोई प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर लिये बिना व अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी का निस्तारण किये बिना व पत्रावली को पेशी मे लिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने

मे अहम भूल की है। अपीलांट ने अपने वाद मे यह स्पष्ट अभिवचन किये कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 तथा रेस्पो0 सं. 1 व 2 के मध्य कृषि भूमि का विभाजन हो गया है तथा उस विभाजन मे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 को चक 10 सीडीआर ए के प.न. 219/254 मु.न. 47 कि.न. 17/0.127, 18, 19, 22 ता 25, प.न. 215/256 मु.न. 1 कि.न. 18/2/0.109, 19/2/0.109, 20/2/0.111 व चक 10 सीडीआर बी के प.न. 219/255 मु.न. 4 कि.न. 3/0.215, 8, 13 व चक 11 सीडीआर के प.न. 214/257 मु.न. 5 कि.न. 21, प.न. 213/257 मु.न. 6 कि.न. 24, 25 व प.न. 213/258 कि.न. 4, 5 प.न. 214/258 मु.न. 14 कि.न. 1, 10, 11, 12 भूमि प्राप्त हुई तथा इसी भूमि पर अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 का आधिपत्य व धारण चला आ रहा है। इस तथ्य को रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे इन्कार नही किया है व राजीनामा मे भी इन कथनो को स्वीकार किया है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 राजीनामा मे दी गई सहमति के विरूद्ध कथन करने से विवन्धित है। अधीनस्थ न्यायालय ने रहन व कब्जा की हद तक प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दू के संबंध मे कोई विवेचना न कर सीधे ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. अपील सं. 78/2018 के रेस्पो0 सं. 1 व 2 व अपील सं. 83/2018 के अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट समेस्ता आदि अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 के आधार पर भूमि पर अपना कब्जा मानकर इसका दुरूपयोग करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से मौका पर तनाव व असंतोष की स्थिति बनी हुई है। अपीलांटस समेस्ता आदि रेस्पो0 रामस्वरूप आदि के कब्जा काश्त की भूमि अपनी मानकर खडी फसल काटने की फिराक मे है।अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस समेस्ता आदि द्वारा अपने कब्जे मे अंकित किये गये विशिष्ट किला चक 10 सीडीआर ए के प.न. 219/254 मु.न. 47 कि.न. 17/0.127, 18, 19, 22 ता 25, प.न. 215/256 मु.न. 1 कि.न. 18/2/0.109, 19/2/0.109, 20/2/0.111 व चक 10 सीडीआर बी के प.न. 219/255 मु.न. 4 कि.न. 3/0.215, 8, 13 व चक 11 सीडीआर के प.न. 214/257 मु.न. 5 कि.न. 21, प.न. 213/257 मु.न. 6 कि.न. 24, 25 व प.न. 213/258 कि.न. 4, 5 प.न. 214/258

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मु.न. 14 कि.न. 1, 10, 11, 12 की भूमि के संबंध मे स्थगन चाहा गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2018 को दिये गये स्थगन आदेश मे समस्त भूमि शामिल की गई है। चूंकि राजस्व रिकार्ड मे समस्त भूमि संयुक्त खाते मे संयुक्त रूप से दर्ज है इसलिये अपीलांट/ रेस्पो0 सं. 1 ता 4 अपने कब्जा की विशिष्ट किला नम्बरो की भूमि का स्थगन प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज शेष भूमि पर कब्जा करने की फिराक मे है। खाता विभाजन के दावा मे एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त नही कर सकता क्योंकि प्रत्येक ईंच पर प्रत्येक खातेदार का बराबर का हक व हिस्सा होता है। चक 10 सीडीआरए के प.न. 219/254 मु.न. 47 कि.न. 21 मे एक ट्यूबवैल बलराम के नाम से, प.न. 214/256 मु.न. 64 कि.न. 18 मे टयूबवैल रामरूवरूप के हिस्से का है। मूल दावा मे खाता विभाजन के संबंध मे रिपोर्ट आने के बाद ही प्रत्येक खातेदार की कब्जा काश्त की भूमि के संबंध मे राय दी जा सकती है। अतः अपील सं. 83/2018 स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपूर्ण व अस्पष्ट आदेश दिनांक 27.02.2018 निरस्त किया जावें।

5. उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। दोनो पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वादपत्र मे अपीलांट व रेस्पो0 का राजीनामा हुआ था तथा मुताबिक राजीनामा दिनांक 23.06.2015 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध रामस्वरूप ने अपील प्रस्तुत कर कथन किये थे कि चक 8 सीडीआर के प.न. 230/248 कि.न. 1 कुल 1 बीघा भूमि अपीलांट व रेस्पो0 की नही है। उक्त किला नं. 1 कृष्ण भांभू का है तथा अपीलांट के हक व हिस्सा की प.न. 230/248 कि.न. 19/0.164, 20/0.177, 21/0.240, 22/0.038 कुल 0.619 है0 कृषि भूमि है। जिसमे उपरोक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट सुनील कुमार आदि ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया जिसमे अपीलांट सुनीलकुमार आदि ने पूर्व मे हुये राजीनामा के मुताबिक कब्जा एवं प्राप्त कृषि भूमि मे रेस्पो0 बलराम आदि के विरूद्ध दखलअंदाजी न करने व रहन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बैय न करने का अनुतोष चाहा। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब बलराम आदि ने प्रस्तुत कर यह कथन किये कि राजीनामा मे अपीलांट सुनील आदि को प्राप्त कृषि भूमि डिक्री अपास्त होने के पश्चात वापिस बलराम आदि ने अपने नाम दर्ज भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था। राजीनामा मे वर्णितानुसार अपीलांट सुनीलकुमार आदि को प्राप्त कब्जा बलराम आदि स्वीकार करते है लेकिन डिक्री अपास्त होने के पश्चात कब्जा पुनः प्राप्त कर लिया था, आदि कथन किये है। लेकिन रेस्पो0 बलराम आदि द्वारा कब्जा के संबंध मे किये गये कथन बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है तथा अपीलांट ने अपने विशिष्ट किला के संबंध मे स्पष्ट अभिवचन किये है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा के संबंध मे कोई निर्णय पारित नही किया है। उक्त परिस्थितियों मे मूल वादपत्र मे विभाजन होने तक वादपत्र मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के संबंध मे उभय व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखा जाना उचित है। चूंकि उपरोक्त दोनो अपीलो मे अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। ऐसी स्थिति मे दोनो अपीले आंशिक रूप स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार उपरोक्त दोनो अपीले आंशिक रूप स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुए न्याय आपके द्वार अभियान 2018 मे मौका पर कब्जा आदि की जांचकर स्थगन आदेश पर पुनः निर्णय पारित करें। स्थगन आदेश पर निर्णय पारित होने तक उभय पक्ष मौका की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादग्रस्त भूमि का बैचान नही करें। उभय पक्ष न्याय आपके द्वार अभियान 2018 मे दिनांक 25.06.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official